बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, गोपालगंज।

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्याह्न भोजन योजना, निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–2226, दिनांक–20.11.2017, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–1218, दिनाांक–10.07.2018 एवं निदेशक म0भो0यो0,बिहार पटना के पत्रांक–58, दिनांक–08.01.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के लिए अथवा चयनित संवेदको के कार्य अवधि की गणना एकरारनामा की तिथि से 02 (दो) वर्ष के लिए की जायेगी। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कर विद्यालयों तक पहुॅचाने हेतु गोपालगंज जिला अन्तर्गत 13 प्रखण्डों यथा **गोपालगंज (16 पंचायत), बैंकुण्ठपुर (22 पंचायत), बरौली (23 पंचायत), भोरे (17 पंचायत), विजयीपुर (13 पंचायत), फुलवरिया (12 पंचायत), हथुआ (22 पंचायत में केवल 34 विद्यालय के लिए), कटेया (11 पंचायत), कुचायकोट (31 पंचायत), मांझा (19 पंचायत), पंचदेवरी (09 पंचायत), सिधवलिया (13 पंचायत) एवं उचकागॉव (14 पंचायत में केवल 39 विद्यालय के लिए)**, के लिए प्रखण्डवार संवेदक के चयन हेतु इच्छुक आवेदकों से मुहरबन्द निविदा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, गोपालगंज के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। निविदा आमंत्रण **सूचना के प्रकाशन की तिथि से 23 मार्च 2021 अपराह्न 03:00 बजे** तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से सिर्फ सीलबंद निविदा, **कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, यादोपुर रोड, सिंह मेडिको** के सामने **प्रथम तल, गोपालगंज** के पते पर प्राप्त की जाएगी। निविदा प्राप्त करने की निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। लिफाफा के उपर प्रखण्ड का नाम जिस प्रखण्ड के लिए निविदा डाली गयी है एवं मोबाइल नम्बर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। निविदा संवेदक चयन समिति के समक्ष **निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के दूसरे कार्य दिवस को पूर्वाह्न 12 बजे** जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के सभाकक्ष में आवेदक/निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। संवेदक का चयन निविदा के आधार पर इस हेतु गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। संवेदक के रूप में चयन एवं कार्य की शर्तें निम्नवत होंगी–

01. निविदादाताओं को 15 पंचायत के प्रखण्ड हेतु 05 ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन एवं 15 पंचायत से अधिक प्रखण्ड के लिए 08 ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन, वाहन की उपलब्धता का लिखित एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर /पिकअप/अन्य छोटी वाहन को उस प्रखण्ड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न उठाव/वितरण हेतु उपलब्ध कराएगें। इनमें से दो वाहन स्वयं निविदादाता के नाम से होना अनिवार्य होगा तथा शेष वाहनों का एकरारनामा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण हेतु उपलब्ध करायेंगे। सभी व्यावसायिक वाहनों का विहित प्रपत्र में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर वाहनों का बीमा प्रमाण पत्र, वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र, वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन का परमिट प्रमाण पत्र एवं वाहन का टैक्स टोकन/चलान का प्रमाण पत्र, की छायाप्रति को जिला परिवहन पदाधिकारी से सत्यापित कराकर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा वाले गाड़ी से ही खाद्यान्न का उठाव किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना एकरारनामा वाले गाड़ी से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जायेगा।
02. निविदादाताओं को 50000.00 (पचास हजार रू0) अग्रिम सुरक्षित राशि (ड्राफ्ट) के रूप में जमा करना होगा, जो (जिला कार्यक्रम, पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, गोपालगंज के नाम से देय होगा) जो संवेदक के रूप में चयन हो जाने से सेवा जारी रहने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यालय में जमा रहेगा।
03. जिन निविदादाताओं का संवेदक के रूप में चयन नहीं हो पायेगा वैसे निविदादाताओं को एक माह के अन्दर 50000.00 (पचास हजार रू0) अग्रिम सुरक्षित जमा राशि चेक/ड्राफ्ट से वापस कर दिया जायेगा।
04. समय पर कार्य करने में असफल होने/किसी भी प्रकार के आरोप प्रमाणित होने अथवा असंतोषजनक कार्य पर संवेदक की अग्रिम सुरक्षित जमा राशि 50000.00 (पचास हजार रू0) जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना, गोपालगंज द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
05. निविदादाताओं को पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो तीन माह के अन्दर निर्गत हो समर्पित करना अनिवार्य होगा।
06. संवेदक को चावल ढुलाई हेतु जब भी बुलाया जाएगा, अपेक्षित संख्या में संबंधित माल ढुलाई के वाहन को लेकर एस0एफ0सी0 (राज्य खाद्य निगम) के गोदाम पर आना होगा।
07. ससमय खाद्यान्न ढुलाई नहीं करने या अपेक्षित संख्या में वाहन नहीं लाने या चावल की अनियमितता में विद्यालय के प्रभारी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्त रहने पर संवेदक का एकरारनामा रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जायेगा।
08. किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी एक ही प्रखण्ड के लिए निविदा स्वीकार्य होगा। एक से अधिक प्रखण्ड के लिए निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा हेतु एक से अधिक प्रखण्ड का **Option** (विकल्प) देने पर निविदा नियमानुसार नहीं मानते हुए निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।

09. संवेदक चयन होने पर ढुलाई हेतु एकरारनामा वाले वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। ढुलाई कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर मध्याह्न भोजन योजना लिखा हुआ पेंट कराना अनिवार्य होगा। वाहन पर पेंट से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना एवं उक्त प्रखण्ड के प्रखण्ड साधन सेवी का मोबाईल नं0 जिला कार्यालय का दूरभाष संख्या भी लिखा होना अनिवार्य रहेगा।

10. प्रत्येक निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा, कि "मैं कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली का दुकानदार /सरकारी सेवक/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना का कर्मी नहीं हूँ एवं मेरे निकटतम परिवार में कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली के दुकानदार/ बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना के कर्मी नहीं हैं।" उक्त शर्त में किसी भी स्तर से गलत पाये जाने पर निविदा रद्द कर दिया जायेगा।

11. प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा कि "वह कहीं से काली सूची (Black Listed) में नहीं हैं तथा उसके द्वारा जमा किये गये सभी कागजात की सूचना सही है। गलत सूचना देने या गलत कागजात जमा करने पर चयनित निविदादाता का चयन रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

12. राज्य खाद्य निगम से FAQ (Fair average Quality) गुणवत्तापूर्ण चावल का ही उठाव करना होगा। जिला कार्यालय द्वारा विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने हेतु रूट चार्ट तैयार किया जायेगा। रूट चार्ट के अनुसार ही उक्त तिथि को समसय विद्यालय में संवेदक खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे।

13. वाहन एकरारनामा से संबंधित वाहनों के सभी आवश्यक कागजात – यथा ऑनरबुक, इन्श्योरेंस, टैक्स टोकन, परमिट, प्रदूषण, फिटनेश एवं अन्य की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा। वाहन से संबंधित कागजात अप्राप्त रहने या अद्यतन नहीं रहने या किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर एकरारनामा मान्य नहीं समझा जाएगा।

14. निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति को यह आवश्यक है कि वे बिहार राज्य के निवासी हों। निविदादाता को निविदा के साथ निवास प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15. निविदादाता को आवेदन के साथ अपना हाल का खींचा हुआ 03 तीन कलर फोटो/ID proof/आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करना होगा।

16. संवेदक को Weighing मशीन से तौल कर विद्यालयों में खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

17. निविदादाता को कम से कम दो वाहन स्वयं के नाम से होना अनिवार्य होगा। सभी अर्हताएँ समान होने पर निविदादाताओं का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

18. संवेदक द्वारा खाद्यान्न का कालाबाजारी करने/विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। साक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति में बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार आर्थिक दण्ड लगाते हुए राशि की वसूली किया जायेगा एवं नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा।

19. चावल का उठाव प्रखण्ड साधन सेवी तथा संवेदक संयुक्त हस्ताक्षर से करेंगे। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिए प्रखण्ड साधन सेवी एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा मे उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी संवेदक/प्रखण्ड साधन सेवी की होगी। इसमें प्रयुक्त होनेवाले वाहन, इंधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय आदि की सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जायेगी। SIO के आधार पर प्रखण्ड साधन सेवी तथा संवेदक दोनो अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम के गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्न का उठाव करेंगे। प्रखण्ड साधन सेवी द्वारा प्रत्येक माह की 18वीं तारीख तक संवेदक को विद्यालय में खाद्यान्न की आवश्यकता आधारित एक वितरण सूची उपलब्ध कराया जाएगा जिसके आधार पर विद्यालयों में संवेदक द्वारा माह की 22 से 30 तारीख तक खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। प्रखण्ड साधन सेवी द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त किये गये खाद्यान्न को सत्यापित करते हुए प्रखण्ड स्तर पर विद्यालयों में खाद्यान्न प्राप्ति सूची को समेकित कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को अगले माह की 10वी तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, विद्यालय में खाद्यान्न वितरण सूची के आधारा पर संतुष्ट होने के उपरान्त संवेदक को परिवहन–सह–हथालन मद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर माह के 15वी तारीख तक भुगतान किया जायेगा।

20. चयनित निविदादाता के साथ एकरारनामा एक बार में अधिकतम दो वर्ष तक के लिए ही किया जायेगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

21. संवेदक का चयन जिस प्रखण्ड के लिए किया जायेगा, उनके कार्यकाल की गणना उक्त प्रखण्ड के लिए ही मान्य होगा।
22. निविदादाता द्वारा आवेदन एवं लिफाफा के उपर आवेदित प्रखण्ड का नाम के साथ अपना पूरा पता, मोबाईल नं० सहीत अंकित करना अनिवार्य होगा।
23. संवेदक चयन हेतु आवेदन–सह–स्वघोषणा पत्र का प्रारूप एवं जिला परिवहन पदाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, गोपालगंज के कार्यालय से निर्धारित अवधि के कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
24. एक गाड़ी संख्या एवं उसके कागज का एकरारनामा एक ही प्रखण्ड के लिए मान्य होगा। एक से अधिक प्रखण्डों में एक ही गाडी संख्या का एकरारनामा एवं कागजात पाये जाने पर उक्त निविदाओं को रद्द कर दिया जायेगा।
25. निविदा की विस्तृत जानकारी/शर्तों एवं आवेदन–सह–घोषणा पत्र प्रारूप के लिए मध्याह्न भोजन योजना, कार्यालय गोपालगंज से संपर्क किया जा सकता है अथवा **WWW.gopalganj.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।
26. निविदा के किसी भी शर्त को किसी भी स्तर पर शिथिल करने का अधिकार चयन समिति को सुरक्षित रहेगा।
27. निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

24/02/21

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना–सह–
सदस्य सचिव संवेदक चयन समिति, गोपालगंज

24.2.21

जिला पदाधिकारी–सह–
अध्यक्ष, संवेदक चयन समिति,
गोपालगंज।

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, गोपालगंज।

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्याह्न भोजन योजना, निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–2226, दिनांक–20.11.2017, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–1218, दिनांक–10.07.2018 एवं निदेशक म0भो0यो0,बिहार पटना के पत्रांक–58, दिनांक–08.01.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के लिए अथवा चयनित संवेदको के कार्य अवधि की गणना एकरारनामा की तिथि से 02 (दो) वर्ष के लिए की जायेगी। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कर विद्यालयों तक पहुँचाने हेतु गोपालगंज जिला अन्तर्गत 13 प्रखण्डों यथा **गोपालगंज (16 पंचायत), बैंकुण्ठपुर (22 पंचायत), बरौली (23 पंचायत), भोरे (17 पंचायत), विजयीपुर (13 पंचायत), फुलवरिया (12 पंचायत), हथुआ (22 पंचायत में केवल 34 विद्यालय के** लिए), **कटेया (11 पंचायत), कुचायकोट (31 पंचायत), मांझा (19 पंचायत), पंचदेवरी (09 पंचायत), सिधवलिया (13 पंचायत)** एवं उचकागॉव **(14 पंचायत में केवल 39 विद्यालय के लिए)**, के लिए प्रखण्डवार संवेदक के चयन हेतु इच्छुक आवेदकों से मुहरबन्द निविदा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, गोपालगंज के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। निविदा आमंत्रण **सूचना के प्रकाशन की तिथि से 23 मार्च 2021 अपराह्न 03:00 बजे** तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से सिर्फ सीलबंद निविदा, **कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, यादोपुर रोड, सिंह मेडिको के सामने प्रथम तल, गोपालगंज** के पते पर प्राप्त की जाएगी। निविदा प्राप्त करने की निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। लिफाफा के उपर प्रखण्ड का नाम जिस प्रखण्ड के लिए निविदा डाली गयी है एवं मोबाइल नम्बर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। निविदा संवेदक चयन समिति के समक्ष **निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के दूसरे कार्य दिवस को पूर्वाह्न 12 बजे** जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के सभाकक्ष में आवेदक/निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। संवेदक का चयन निविदा के आधार पर इस हेतु गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। संवेदक के रूप में चयन एवं कार्य की शर्तें निम्नवत होंगी–

01. निविदा की विस्तृत जानकारी/शर्तों एवं आवेदन पत्र के लिए मध्याह्न भोजन योजना, गोपालगंज कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है अथवा WWW.gopalganj.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

24/02/21

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
मध्याह्न भोजन योजना–सह–
सदस्य सचिव संवेदक चयन समिति, गोपालगंज

24.2.21

जिला पदाधिकारी–सह–
अध्यक्ष, संवेदक चयन समिति,
गोपालगंज।